



झारखण्ड सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

## महत्वपूर्ण संशोधित सूचना।

**वाणिज्य-कर विभाग के उन्नत सॉफ्टवेयर (Upgraded Software)  
Version II लागू होने के संबंध में।**

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा दिनांक 18.10.2014 के प्रभाव से विभागीय सॉफ्टवेयर का उन्नत संस्करण, Version II लागू किया जा रहा है।

### Profile Update से संबंधित –

सभी निबंधित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि उक्त उन्नत सॉफ्टवेयर में Login करने हेतु निम्न सूचनाओं को **update** करना अतिआवश्यक है :-

- Mobile No. (मोबाईल संख्या)
- E-mail Address (ईमेल पता)
- PAN (पैन)

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी जानकारियाँ व्यवसायी से संबंधित होने चाहिए न कि किसी अन्य के। उक्त प्रविष्टि के उपरांत विभागीय सॉफ्टवेयर से मोबाईल संख्या पर एक Secret Code तथा ईमेल पते पर एक LINK भेजा जाएगा जिसके माध्यम से ही विभागीय सॉफ्टवेयर में Login किया जा सकेगा।

पूर्व में उक्त जानकारियों के update कर लेने की स्थिति में भी पुनः उन्हीं मोबाईल संख्या, ईमेल पता तथा पैन की प्रविष्टि करनी अपेक्षित है।

वर्तमान सॉफ्टवेयर में Login करने हेतु व्यवसायी का TIN उनका User ID होता है जबकि उन्नत सॉफ्टवेयर में व्यवसायी E-mail address ही User ID माना जाएगा।

### विभागीय ऑनलाईन सेवाएं अनुपलब्ध (Unavailable) होने से संबंधित –

- दिनांक 17.10.2014 के रात्रि 8.00 बजे से दिनांक 18.10.2014 के सुबह 5.00 बजे तक ऑनलाईन कर भुगतान की सुविधा बंद हो जाएगी।

- दिनांक 17.10.2014 के रात्रि 11.00 बजे से दिनांक 18.10.2014 के सुवह 5.00 बजे तक रोड परमिट (SUGAM G, B & P) एवं केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्रों का ऑनलाईन निर्गमन बंद रहेगा।
- दिनांक 18.10.2014 के सुवह 5 बजे के उपरांत ऑनलाईन सभी सुविधाएं (रोड परमिट (SUGAM G, B & P), केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र, कर-भुगतान, निबंधन तथा कर-विवरणी का दाखिला) उन्नत सॉफ्टवेयर (Upgraded Software) में उपलब्ध होगी।

अतः सभी निबंधित व्यवसायियों से अनुरोध है कि सॉफ्टवेयर के बाधित रहने की अवधि के पूर्व आवश्यक रोड परमिट, केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र का निर्गमन तथा संबंधित कर का भुगतान की प्रक्रियाएं अवश्य पूरी कर लें।

#### **माह अक्टूबर, 2014 में विवरणी दाखिल करने से संबंधित –**

- व्यवसायियों को माह सितम्बर, 2014 के कर-अवधि से संबंधित मासिक VAT विवरणी तथा CST विवरणी पूर्व की भांति क्रमशः JVAT 200 (Monthly), JVAT 214 (Quarterly), JVAT 211 (Quarterly) तथा Form I (Monthly) के प्रपत्रों में दिनांक 30.10.2014 तक समर्पित करना आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त पूर्व की कर-अवधि से संबंधित लंबित/संशोधित विवरणियाँ भी VAT के अधीन JVAT 200, JVAT 211, JVAT 214 में तथा CST के अधीन FORM I में 31 दिसम्बर, 2014 तक समर्पित करना आवश्यक है।
- अक्टूबर, 2014 तथा आगे की अवधि से संबंधित विवरणियाँ नये विहित विवरणी-प्रपत्रों यथा- Monthly Abstract (JVAT 213) नवम्बर, 2014 से, Quarterly Return (JVAT 200), (JVAT 211) तथा CST Return (Form I) जनवरी, 2015 से उपलब्ध होगा।

#### **माह अक्टूबर, 2014 में कर-भुगतान से संबंधित –**

- वर्तमान 11 सार्वजनिक बैंकों के साथ One Way Online Payment की सुविधा दिनांक 20.10.2014 से समाप्त हो जाएगी।

- सम्प्रति 2 सार्वजनिक बैंकों यथा— भारतीय स्टेट बैंक तथा इंडियन ओवरसिज बैंक के साथ Two Way Online Payment System दिनांक 20.10.2014 से प्रारंभ होगी। भविष्य में शेष सार्वजनिक बैंक भी उक्त Two Way Online Payment System की सुविधा प्रदान करेंगे।
- वर्तमान Payment Gateway की सुविधा कुल 67 बैंकों के माध्यम से पूर्ववत् उपलब्ध होगी।

सभी निबंधित व्यवसायियों से अनुरोध है कि दिनांक 20.10.2014 के उपरांत वर्तमान One Way Online Payment System के अधीन कर-भुगतान नही करें। विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ) में Two Way Online Payment की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

#### माह अक्टूबर, 2014 में नये निबंधन से संबंधित –

- वर्तमान सॉफ्टवेयर में उपलब्ध ऑनलाईन निबंधन की सुविधा यथावत् उपलब्ध होगी।

अतः सभी निबंधित व्यवसायियों से अनुरोध है कि उन्नत सॉफ्टवेयर में Login करने की नयी व्यवस्था तथा उपरोक्त वर्णित अवधि में सॉफ्टवेयर के बंद रहने (Down Time) की सूचना के आलोक में आवश्यक कार्रवाई/तैयारी कर लें।

विभागीय वेबसाईट [www.jharkhandcomtax.gov.in](http://www.jharkhandcomtax.gov.in) पर Version II से संबंधित पूर्ण जानकारी हेतु Frequently Asked Questions (FAQ) उपलब्ध है।

अतिरिक्त जानकारी हेतु विभागीय HELP DESK दूरभाष संख्या—0651—6066005 एवं 0651—2446102 पर कार्यालय अवधि (सुवह 10 से संध्या 6 बजे तक) तथा संध्या 6 बजे से सुवह 10 बजे तक मोबाईल संख्या—7762837076 एवं 7762837078 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।